an>

Title: Introduction of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री **(**श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से खान और खनिज विकास विनियम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957."

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I have an objection to the introduction of this Bill. This Bill though was awaited, it has come through an ordinance route.

The first thing that we have objection to is that the stakeholders, *i.e.*, the respective State Governments have not been consulted when the Ordinance was issued. The discussion that had taken place earlier had those provisions but some new provisions were also added to this and in that respect the State Governments, especially the mineral bearing State Governments have raised objections to the introduction of the Ordinance. Therefore, Biju Janta Dal is raising objection to the introduction of the Bill.

Subsequently, of course, we are told that some discussions had taken place but our State Government is opposed to those Sections because those Sections infringe on the rights of the State Government. When you are extending the mining lease period after a specific given time of a mining area, you are not taking the consent of the respective State Government or the stakeholder. So, this is a clear violation of the MMDR Act that was enforced in 1957. We have our objection to the 1957 Act and when the discussion takes place, we will do that. But here our objection is that this is an infringement on the constitutional rights of the State Government. Therefore, Biju Janta Dal opposes the introduction of this Bill.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया **(**गुना**) :** माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय का हम भी समर्थन करते हैं।...(व्यवधान) क्योंकि राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही इस ऑर्डिनेंस को लाया जाना चाहिए। उसके बिना नहीं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर **:** माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन बिल हम लोग लेकर आए हैं, यह पूरी तरह से संविधान सम्मत है। इस संशोधन बिल को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अनेक बार चर्चा हुई है। माइनिंग के क्षेत्र में जितने भी संगठन हो सकते हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। व्यक्तिगत रूप से जो लोग मंत्रालय में आए, उनसे भी चर्चा करने का प्रयत्न किया है और उसके बाद इस पूरे मसौदे को वैबसाइट पर रखा गया है। उसमें भी बडी मात्रा में सुझाव आए थे। उन सुझावों पर भी मंत्रालय ने विचार-विमर्श किया। उसके उपरांत ही हम लोग इस संशोधन विधेयक को आप सबके समक्ष लाये हैं। यह विधेयक निश्चित रूप से माइनिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाएगा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि पिछले अनेक दिनों से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई, साही कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई, उनके कारण माइनिंग के क्षेत्र में ठहराव जैसा आ गया था। पूरे देश में राज्यों में साठ हजार से अधिक प्रकरण विचाराधीन थे, जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था और इस ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, we do not have any objection to the issue that the Supreme Court has raised. ...(*Interruptions*) Our only concern was the unilateral decision taken ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** उस पर भी उन्होंने आपके ऑब्जैक्शन का उत्तर दिया है। प्लीज, आप सुन तो लीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माइनिंग के क्षेत्र में ठहराव सा आ गया था। हम आयरन ओर को ही लें तो 2009-2010 में 218 मिलियन टन हमारे यहां प्रोडक्शन था, आज हम 152 पर आकर खड़े हुए हैं। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह एक राज्य को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है, यह पूरे देश के माइनिंग क्षेत्र को ध्यान में रखकर लाया गया है और हमारे अध्यादेश के दो मूल उद्देश्य हैं एक तो इस बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी और दूसरा इस बिल के माध्यम से माइनिंग के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, five mineral-bearing States of the country were not consulted in this matter. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप तो बड़े समझदार हैं, प्लीज, ऐसा नहीं करते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : This is an important Bill. ...(*Interruptions*) Why do not you send it to the Standing Committee? ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this will not go on record.

...(*Interruptions*)*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The national wealth is involved here. ...(*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर **:** इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश के विकास को गति प्रदान होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पुरस्थापित करने की मुझे अनुमति देने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए हैं, जब यह बिल चर्चा में आयेगा तो हम उनकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे।

HON. SPEAKER: The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957."

The motion was adopted.

...(*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।